205

संख्या– — /2015/136/IX/2008

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड़
देहरादून।

परिवहन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक07 नवम्बर, 2015

विषय– सितारगंज में बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय सितारगंज में बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु आगणन की आकलित धनराशि रू0 583.33 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा आगणित औचित्यपूर्ण अनुमोदित धनराशि रू0 427.10 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 में उक्त कार्य के लिए शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा रू0 75.00 लाख, वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2014 द्वारा रू0 35.00 लाख, तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में शासनादेश दिनांक 06.12.2014 द्वारा रू0 15.00 लाख (कुल धनराशि रू0 125.00 लाख) की स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है।

2– महाप्रबन्धक (तकनीकी/संचालन), उत्तराखण्ड परिवहन निगम के पत्र संख्या–194/नि0मु0/X/सी0एम0घो0–सितारगंज स्टै0 स्था0/2014 देहरादून, दिनांक 06.11.2015 द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 35.00 लाख (रूपये पैतीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

(ii) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(v) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–5–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(vii) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(viii) कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर चैक के माध्यम से तत्काल प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम देहरादून को उपलब्ध करा दी जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 24 के लेखाशीर्षक 5055–सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 00–आयोजनागत 190–सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03–उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु अनुदान 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के लिए भुगतान के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–400/xxvii/(1)/2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्या–523 (1)/2015/136/IX/2008 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेश सी–1/105 इन्दिरानगर, देहरादून।
3– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, देहरादून।
5– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
6– जिलाधिकारी, देहरादून।
7– आहरण वितरण अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
8– वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम मुख्यालय देहरादून।
9– वित्त अनु.–2 ।
10– नियोजन अनुभाग।
11– एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0 एस0 डुंगरियाल)
उप सचिव।